न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर – 2025/1716

1. अब्दुल रज्जाक वल्द गफ्फुर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास, तहसील के पास, कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. महमूद अली पुत्र अशरफुद्दीन, जाति मुसलमान निवासी खेडलीगंज, तहसील अटरू, जिला बांरा, राजस्थान। (फौत)
   1/1. सलामुद्दीन पुत्र महमूद अली,
   1/2. इकरामुद्दीन पुत्र महमूद अली,
   1/3. अब्दुल रजाक पुत्र महमूद अली,
   1/4. जाकिर हुसैन पुत्र महमूद अली,
   जाति मुसलमान निवासी खेडलीगंज अटरू, तहसील अटरू, जिला बांरा।
   1/5. इस्लामुद्दीन पुत्र महमूद अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 4 मोडल रेल्वे फाटक मस्जिद रोड उदयपुरा कमलपुरा कोटा।
2. सरफुद्दीन पुत्र अशरफुद्दीन, जाति मुसलमान; निवासी मांगरोल, जिला बांरा। (फौत)
   2/1. इस्लामुद्दीन पुत्र सरफूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नम्बर 3 काजीया टोडी मांगरोल बांरा।
   2/2. सिराजुद्दीन पुत्र सरफूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी खेडलीगंज, तहसील अटरू, जिला बांरा।
3. कयामुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन जाति मुसलमान, निवासी बस स्टेण्ड के पास, खेडली गंज अटरू तहसील अटरू जिला बांरा।
4. रहीसउद्दीन पुत्र अलाउद्दीन जाति मुसलमान, निवासी काचरी हाल आबाद, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान।
5. समसुद्दीन पुत्र कल्लू खां, जाति मुसलमान, निवासी खेडलीगंज, तहसील अटरू, जिला बांरा, राजस्थान।
6. सदरूद्दीन पुत्र कल्लू खां, जाति मुसलमान, निवासी काचरी हाल आबाद, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान जरिये मुख्त्यार सरोज देवी उर्फ संजना तंवर पत्नी गिरिराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी तिजारा फाटक, अलवर, राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
8. उप पंजीयक, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा निर्णय दिनांक 05.02.2016 जिसके द्वारा अपील संख्या 52/2015 बउनवानी महमूद अली व अन्य अब्दुल रज्जाक में तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1473 पर दिनांक 02.01.1992 को पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रकरण में वारिसान की जॉच कर, सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया जबकि नामान्तकरण संख्या 1473 पर पारित आदेश दिनांक 02.01.1992 के विरूद्ध इस अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 5 द्वारा अपील संख्या 70/2010 बउनवानी अपील महमूद व अन्य बनाम अब्दुल रज्जाक में दिनांक 06.06.2012 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी गई जिसके पश्चात पुनः अपील पेश कर नामान्तकरण को खारिज कर प्रति प्रेषित कर दिया।

अति. संभागीय आयुक्त जयपुर

उपस्थित :—

1. श्री बनवारी लाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 व 2/1 से 2/2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 की ओर से।
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :— 14.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 05.02.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 24.08.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगा0 1/5 व 2/1 लगा0 2/2 के पिता एवं 3 लगायत 6 ने तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा द्वारा कस्बा लालसोट के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा ने निर्णय दिनांक 05.02.2016 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 02.01.1992 नामान्तरकरण संख्या 1473 कस्बा लालसोट खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में वारिसान की जांच कर, सुनवाई, सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 05.02.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट अब्दुल रज्जाक वल्द गफ्फुर मोहम्मद द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2016 को निरस्त किये जाने व इन्तकाल संख्या 1473 तस्दीक दिनांक 02.01.1992 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को दर्ज कर अपीलान्ट की तलबी हेतु क्रमांक संख्या 2431–33 दिनांक 12.04.2015 को नोटिस जारी होना दर्शित है लेकिन उक्त नोटिस अपीलान्ट को तामील ही नहीं हुए तथा अपीलान्ट ने किसी के.सी. मीना एडवोकेट को पैरवी हेतु नियुक्त ही नहीं किया बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 एवं उनके मुख्त्यार आम ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जबकि अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी ही नहीं रही है। ना ही अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र ही दिया, ना ही कोई वकालतनामा ही पेश करवाया गया है बल्कि अपीलान्ट को बिना साक्ष्य सबूत का अवसर किए ही आलौच्य निर्णय पारित कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.10.2015 को अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट (वर्तमान अपीलान्ट) की तलबी जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए तथा दिनांक 12.10.2015 को क्रमांक संख्या 2431–33 पर नोटिस जारी कर दिए तथा दिनांक 08.12.2015 को रेस्पोडेन्ट की तामील लोटकर नहीं आने बाबत् आदेशिका पर अंकन किया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 22.12.2015 नियत की गई तथा दिनांक 22.12.2015 को बिना किसी

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकार के एवं बिना अपीलान्ट की अनुशंसा के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने किसी के. सी. मीना एडवोकेट को उपस्थित दिनांक 22.12.2015 नो ओब्जेक्शन पत्रावली की आदेशिका पर अंकित कर दिया गया तथा दिनांक 29.12.2015 को फर्जी एवं कूटरचित वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवा दिया जबकि अपीलान्ट को उक्त प्रकरण बाबत् न्यायालय का कोई नोटिस ही प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उक्त तथ्य पर वगैर गौर किए ही आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी भूल कारित की है जो काबिले निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किए बगैर मनमाने ढंग से आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी भूल कारित की है जो काबिले निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 09.10.2015 को पत्रावली में रिपोर्ट की गई जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि अपील नामान्तकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है तथा न्यायालय के कर्मचारी/रिपोर्टकर्ता का कर्तव्य था कि उन्हे यह मालुमात करना चाहिए था कि उक्त नामान्तकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण पूर्व में दर्ज हुआ है या नहीं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई जॉच उक्त पत्रावली में की ही नहीं गई तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली में दिनांक 09.10.2015 को रेस्पोडेन्ट के नोटिस जारी करने के आदेश प्रसारित कर दिए गए तथा उक्त नोटिस जारी करने का तो आदेशिका पर अंकन कर दिया गया लेकिन उक्त नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त ही नहीं हुए, जिस कारण अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं हुई एवं प्रकरण में मिलीभगत करते हुए बिना किसी हक एवं अधिकार दिए ही अपीलान्ट की ओर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के साथ अधिवक्ता को उपस्थित करवा दिया गया एवं प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने का प्रार्थना पत्र भी दिलवा दिया गया जबकि उक्त प्रकरण योग्य अधीनस्थ न्यायालय को भी देखना था कि उक्त नामान्तकरण से संबंधित प्रकरण पूर्व में विनिश्चत किया जा चुका है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय भी उक्त प्रकरण बाबत् अनभिज्ञ रहा तथा रेस्पोडेन्टस् ने फ्रोड व मिसिरिप्रजेन्टशन करते हुए उक्त प्रकरण में जो पहले से ही विनिश्चत किया जा चुका है। पुनः निर्णय पारित करने में कानूनी भूल कारित की है जो काबिज निरस्तनीय है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 1473 कस्बा लालसोट पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.1992 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण संख्या 52/2015 बउनवानी महमूद अली व अन्य बनाम अब्दुल रज्जाक व अन्य दर्ज होने से पूर्व नामान्तकरण संख्या 1473 कस्बा लालसोट जिला दौसा पर तहसीलदार तहसील लालसोट द्वारा पारित आदेश कमामुद्दीन पुत्र श्री अलाउद्दीन, रामशुद्दीन पुत्र कलीमुद्दीन ने सन् 2010 में अपील प्रस्तुत की थी जो कि प्रकरण संख्या 7/2010 बउनवानी महमूद व अन्य बनाम अब्दुल रज्जाक के नाम से दर्ज रजिस्टर की गई तथा उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 06.06.2012 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कर दिया गया जिसमें अपीलान्ट की अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज फरमाया गया। जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 अर्थात पूर्व अपील के अपीलान्ट ने ही नामान्तकरण संख्या 1473 कस्बा लालसोट पर तहसीलदार तहसील लालसोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.1992 के विरूद्ध पुनः अपील पेश कर दी जो प्रकरण संख्या 52/15 बउनवानी महमूद अली बनाम अब्दुल रज्जाक व अन्य के नाम से दर्ज कर दी गई जबकि उक्त अपील प्रस्तुत करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 को प्राप्त ही नहीं था यदि उन्हे किसी भी प्रकार का गुरेज था तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2012 को चुनौती देनी चाहिए थी। इस प्रकार पुनः प्रस्तुत अपील प्राङ्न्याय के सिद्वान्त से बाधित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दु को ताक में रखकर उक्त अपील की सुनवाई कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने समान पक्षकारों के मध्य, समान विषयवस्तु के संबंध में, समान विवाद्यक को दिनांक 06.06.2012 को निर्णित कर दिए जाने के बाद पुनः उन्ही

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

पक्षकारान् के मध्य, उसी विवाद्यक को उसी विषयवस्तु के संबंध में दिनांक 05.02.2016 को निर्णय कर दिया जबकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में क्षेत्राधिकारिता के बाहर जाकर काम किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 07/2010 बउनवानी महमूद व अन्य बनाम अब्दुल रज्जाक व अन्य में दिनांक 06.06.2012 को अपीलान्ट की अपील खारिज फरमा दी गई तथा उन्ही पक्षकारान् ने उसी नामान्तकरण की पुनः अपील संख्या 52/15 में दिनांक 05.02.2016 को अपील स्वीकार फरमा दी गई। ऐसे करने को अधीनस्थ न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, इस प्रकार क्षेत्राधिकार विहित आदेश/निर्णय होने कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय से तथ्य छिपाते हुए तथा अपीलान्ट के साथ फ्रोड करते हुए विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करवा लिया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर जॉच किए ही आलौच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है। अपीलान्ट महमूद व कयामुद्दीन व अपीलान्ट शमशुद्दीन के पिता कल्लूद्दीन व उसके परिवार के सब लोगों ने दिनांक 11.07.1994 को 100/—रूपये के एक स्टाम्प पाई पेपरों पर इकरारनामा स्वीकारोक्ती निष्पादित कर दिया कि अशरफद्दीन ने कॉपी गफुर मोहम्मद के पक्ष में खसरा नम्बर 146, 3346, 3350 वाके ग्राम लालसोट जिला दौसा की वसीयत कर दी थी और इसका नामान्तकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 को तस्दीक किया गया है वह सही है व वाजिब है। हम मुकीराम को उसके किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उक्त लिखावट लिख देने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 को कोई अपील करने का अधिकार ही नहीं रहा है एवं अपीलान्ट के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण भी विधि सम्मत है। उक्त आपत्ति को योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व अपील संख्या 7/10 में स्वीकार ली थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रस्तुत अपील में आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ही अपने पिता के पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर मृतक का विधिक वारिसान है जिस कारण तहसीलदार तहसील लालसोट द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जिसकी स्वीकारोक्ती अपीलान्ट ने दी है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः अपील पर आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है।

अपीलान्ट को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2016 की जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्ट की बिना सुनवाई के किया गया है। उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 26.07.2022 को हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से करवाये गये निर्णय की पालना में तहसीलदार के यहाँ पत्रावली सुनवाई हेतु नियत हुई एवं अपीलान्ट को सुनवाई हेतु बुलाया गया तब अपीलान्ट तहसील कार्यालय गया तथा मालुमात की तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। तत्पश्चात अपीलान्ट दिनांक 27.07.2022 को नकल के लिये प्रार्थना पत्र दिया एवं दिनांक 28.07.2022 को नकल प्राप्त हुई। तत्पश्चात पूर्व में दिए गए निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2022 को लगाया तथा नकल दिनांक 01.08.2022 को प्राप्त हुई एवं नामान्तकरण की सत्यप्रति नकल हेतु आवेदन दिनांक 12.08.2022 को पेश किया। जिसकी नकल दिनांक 12.08.2022 को प्राप्त होने पर जयपुर आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और राय मशवरा कर आज अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वैसे फ्रकोड एवं मिसिप्रिजेन्टेशन से पारित निर्णय की अपील की कोई समय सीमा विहित नहीं है। लेकिन उक्त अपील प्रस्तुति में हुई देरी को माफ करने के लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकरण संख्या 52/15 बउनवानी महमूद अली व अन्य बनाम अब्दुल रज्जाक व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

6. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगा0 1/5 व 2/1 लगा0 2/2 के पिता एवं 3 लगा0 6 ने तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा द्वारा कस्बा लालसोट के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नंबर 146 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 3327 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा व ख.नं. 3350 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट तह० लालसोट में स्थित है। जिस पर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगा0 1/5 व 2/1 लगा0 2/2 के पिता एवं 3 लगा0 6 के बुजुर्गान बहैसियत खातेदारान के काबिज काश्त होकर उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करते थे एवं बँट काश्त पर भी उक्त आराजी को अन्य दीगरान को बताते थे एवं उपज का अपना हिस्सा समय-समय पर प्राप्त करते थे। अपीलान्ट्स के बुजुर्गान खातेदार असरफुद्दीन बसिलसिंले रोजगार कमाने खाने ग्राम काचरी तहसील अटरू जिला बांरा में आते जाते थे एवं निवास स्थान बनाकर रहने लगे थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि काफी चतुर चालाक व्यक्ति है ने गुपचुप में अपीलान्ट्स के बुजुर्गान पिता एवं दादा असरफुद्दीन के फौत हो जाने पर उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि का नामान्तरकरण अपने आपको असरफुद्दीन का वारिस बताते हुऐ नामा0 संख्या 1473 दिनांक 02.01.92 द्वारा अपीलान्ट्स के पिता की जगह खातेदारी राजस्व रिकार्ड मं अपने नाम कराली जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गयी है। प्रश्नगत नामान्तरकरण विधि, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत जाकर किया गया मनमाना आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान की जांच किये बिना व बिना नोटिस दिये ही प्रश्नगत नामा० तस्दीक कर कानूनी गलती की है। हाल अपीलान्ट ने सरासर अवैध तौर पर खातेदारी इन्द्राज अपने नाम करवा ली। जिसका उसे कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है। वास्तविक व कानूनी तोर पर उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार अशरफुद्दीन वल्द अजीजद्दीन दर्ज रिकार्ड राजस्व अभिलेख में निरन्तर रहे है बाद वफात खातेदार अशरफुद्दीन के कानूनी तौर पर प्रश्नगत आराजीयात के खातेदारी अपीलान्ट्स जो कि मृतक खातेदार के कानूनी हकीकी वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की चाहिये थी किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण सं 1473 बसाज राजस्व एजेन्सी के दिनांक 20.01.92 को गुपचुप में मृतक खातेदार अशरफुद्दीन को लाऔलाद बताकर एवं उसका एकमात्र वारिस बनकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वर्णित आराजी वादग्रस्त को अकेले अवैध तौर पर अवैधानिक रूप से अपने नाम करवा ली। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा ने निर्णय दिनांक 05.02.2016 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 02.01.1992 नामान्तरकरण संख्या 1473 कस्बा लालसोट खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में वारिसान की जांच कर, सुनवाई, सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 26.07.2022 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत् पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का

रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद असरफुद्दीन पुत्र अजीजुद्दीन की विरासत को लेकर है। तहसीलदार लालसोट द्वारा असरफुद्दीन की विरासत का नामान्तरकरण अब्दुल रजाक पुत्र गफूर मोहम्मद के नाम नामान्तरकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 स्वीकृत किया गया था। हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1/1 लगायत 1/5, व 2/1 लगायत 2/2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा तहसीलदार लालसोट के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में एक अपील प्रकरण संख्या 07/2010 उनवानी महमूद व अन्य बनाम अब्दुल रजाक प्रस्तुत की गयी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 06.06.2012 द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद पर अपील खारिज की गयी थी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2012 के विरूद्व हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/5 व 2/1 लगायत 2/2 एवं 3 लगायत 6 के द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 92/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/506) बउनवानी कयामुद्दीन व अन्य बनाम अब्दुल रज्जाक व अन्य प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 17.07.2025 द्वारा खारिज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 06.06.2012 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार लालसोट द्वारा असरफुद्दीन की विरासत का नामान्तरकरण अब्दुल रजाक पुत्र गफूर मोहम्मद के नाम नामान्तरकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 स्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्व हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1/1 लगायत 1/5, व 2/1 लगायत 2/2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में पुनः एक अपील प्रकरण संख्या 52/2015 बउनवानी महमूद अली व अन्य बनाम अब्दुल रज्जाक व अन्य प्रस्तुत की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 05.02.2016 द्वारा आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 02.01.1992 नामान्तरकरण संख्या 1473 कस्बा लालसोट खारिज किया जाकर प्रतिप्रेषित कर तहसीलदार लालसोट को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में वारिसान की जांच कर सुनवाई, सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये थे।

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 05.02.2016 के विरूद्व हाल अपीलान्ट अब्दुल रज्जाक द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का कथन है कि हाल रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार लालसोट के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष एक अपील संख्या 07/2010 उनवानी महमूद व अन्य बनाम अब्दुल रजाक प्रस्तुत की गयी थी, जिसको अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 06.06.2012 द्वारा अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद पर खारिज कर दी गयी थी।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

इसके पश्चात हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/5 व 2/1 लगायत 2/2 एवं 3 लगायत 6 के द्वारा पुनः तहसीलदार लालसोट के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष एक अपील संख्या 52/2015 बउनवानी महमूद अली व अन्य बनाम अब्दुल रज्जाक व अन्य प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार हाल रेस्पोडेन्ट द्वारा एक ही आदेश के विरूद्व दो अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 05.02.2016 द्वारा आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 02.01.1992

नामान्तरकरण संख्या 1473 कस्बा लालसोट खारिज किया जाकर प्रतिप्रेषित कर तहसीलदार लालसोट को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में वारिसान की जांच कर सुनवाई, सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। हमारा विनम्र मत है कि अपीलान्ट द्वारा अवगत करवायी गई विधिक आपत्तियों पर विधिक रूप से सहमत हैं किन्तु उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में की गई कार्यवाही व दिये गये निर्णयों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा सुनवाई को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षों को एक साथ समान अवसर देते हुए सुनवाई का अवसर दिया जाए। अतः न्यायहित में उभयपक्ष तहसीलदार लालसोट के समक्ष सुनवाई में विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपने सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2016 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि :– अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर